UPBN010041762026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- 1, बदायूँ

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1574/2026
मुशाहिद बनाम राज्य
वाद सं० 25517/2025
मु०अ०सं० 118/2023
धारा–323, 504, 308 भा०दं०सं०
थाना उझानी , जिला बदायूँ

29.06.2026

01– प्रार्थी/अभियुक्त मुशाहिद पुत्र रक्फी उर्फ गौरा निवासी मोहल्ला गद्दी टोला, थाना उझानी जिला बदायूँ की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र वाद सं० 25517/2025 मु०अ०सं० 118/2023 धारा–323, 504, 308 भा०दं०सं० थाना उझानी , जिला बदायूँ में प्रस्तुत किया गया है।

02– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं अभियुक्त का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

03– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा दिलशाद ने थाना हाजा पर इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराया कि प्रार्थी मोहल्ला गद्दीटोला कस्वा व कोतवाली उझानी (बदायूँ) का निवासी हूँ। दिनाँक 17.02.2023 को रात्रि 9.00 बजे करीब मोहल्ले के पडोस मे ही रहने वाले फुकरान, अरकान, शाहिद एवम् मुशाहिद पुत्रगण रफ्फी उर्फ गोरा कुछ दिन पूर्व मेरे भाई शमशाद उर्फ कल्लू से मोबाईल को लेकर हुई कहासुनी के पीछे हाथो मे लाठी डण्डे लेकर आ धमके और अचानक गाली गलौच करते हुए अमादा झगडा फसाद विरोध करने पर मुझे व मेरे भाई अशरफ को सभी ने मिलकर बुरी तरह लाठिया जिसके हम भाईयो के खुली व गुम चोटे आयी और मौके पर ही बेहोश हो गये। अगले दिन हमने डाक्टरी कराई और अभी तक हालत में सुधार नही होने के कारण नहीं आ सका। अब रिपोर्ट को आया हमारे सिर टाँके आये है। मजरूबों का मेडिकल आदि कराया गया। विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त तथा अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्तानुसार आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

04– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। बल्कि पुलिस द्वारा मनमानी करके स्वच्छ विवेचना नहीं की गयी है तथा मनमानी करते हुये प्रार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। जो निराधार है। आरोप पत्र के आधार पर

थाना पुलिस प्रार्थी के घर पर लगातार नाजायज तरीके से प्रार्थी व उसके परिवारजनों को परेशान करती चली आ रही है व गिरफ्तार कर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। उपरोक्त वाद में चोटों का प्रकार सामान्य होने के पश्चात भी थाना पुलिस द्वारा प्रार्थी के खिलाफ गंभीर धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है। प्रार्थी एक सामान्य परिवार का सदस्य है व उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है व जमानत पश्चात वह गवाह व सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। उपरोक्त वाद में प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है व इसके अलावा किसी भी न्यायालय व उच्च न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं है। जमानत पश्चात प्रार्थी स्वयं व द्वारा वकील हाजिर अदालत रहेगा व माननीय न्यायालय द्वारा दी गयी शर्तों का कठोरता से पालन करेगा। प्रार्थी जमानतीयों के रूप में माननीय न्यायालय के सक्षम उचित धनराशि के के प्रतिभू दाखिल करेगा।

05– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

06– अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

07– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्र०सू०रि० देरी से दर्ज कराई गयी है। देरी का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। तहरीर में अंकित नहीं है कि तहरीर किस दिनांक की है। दोनों चुटैलों की चिकित्सीय परीक्षण आख्या दिनांक 18.02.23 की हैं, यानि घटना के एक दिन बाद की हैं। दोनों चुटैलों के छिले हुये घाव चिकित्सक द्वारा बताये गये हैं, इसी कारण चिकित्सक द्वारा चोटों के बारे में अपनी कोई भी राय नहीं दी गयी है कि चोटें गंभीर हैं या साधारण हैं। चुटैल दिलशाद की चोटों को जेरे निगरानी रखा गया, किन्तु उसका भी कोई एक्सरे आदि कराने का कोई कथन नहीं है और न ही चुटैलों के बयानों में उनके द्वारा पुनः एक्सरे के लिए डाक्टर के पास जाने का कथन किया गया है। मामला धारा 308, 323, 504 भा०दं०सं० का है, सभी अपराध सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। सहअभियुक्तगण फुरकान व अरकान की अग्रिम जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी हैं। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **मुशाहिद** द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा **अंकन तीस हजार रूपये** का निजी बंध पत्र तथा इसी धनराशि के दो जमानती दाखिल करने पर तथा निम्न आशय का अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये–

1– प्रार्थी/अभियुक्त प्रस्तुत मामले के विचारण में सहयोग करेगा, अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

2– साक्ष्य को प्रभावित व उसके साथ कोई छेडछाड नहीं करेगा।

3– न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक अपरिहार्य स्थिति न हो।

4– न्यायालय की अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जायेगा, यदि कोई पास पोर्ट/बीजा है, तो उसे न्यायालय में दाखिल करेगा।

5– उक्त शर्तों का पालन न करने की स्थिति में विचारण न्यायालय को अग्रिम जमानत निरस्त करने का विकल्प रहेगा।

(कु० रिंकू)
J.O. Code- UP 6101
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं० –1, बदायूँ

Digitally signed by Rinku Jindal
Date: 2026.06.29 18:08:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court